

कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-3, त.ना.त., लखनऊ।

संख्या 4547 / 3-त.ना.त.-140 / एन.टी. 2009 (1) दिनांक: अगस्त 13, 2015

आदेश/स्थायीकरण

परिषद, एतद्वारा "उ०प्र० अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली 2003 के नियम 22 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली-1991 के नियम-4" में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से नायब तहसीलदार के पद पर स्थायी घोषित करते हैं:-

क्र० सं०	नायब तहसीलदार का नाम/ कार्यरत जनपद/ जन्मतिथि	संवर्ग	स्थायी घोषित किये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	सुश्री प्रियंका चौधरी/ गोरखपुर / 21-7-81	सीधी भर्ती	13.05.12
2	पवन कुमार जायसवाल/ कुशीनगर / 4-11-75	सीधी भर्ती	14.05.15
3	श्रीमती वन्दना पाण्डेय/ कुशीनगर/ 20.5.77	सीधी भर्ती	14.05.15
4	श्रीमती प्रीति सिंह/ कुशीनगर/ 01-01-84	सीधी भर्ती	14.05.15
5	यदुवंश कुमार/ बिजनौर / 19.5.73	सीधी भर्ती	23.05.12
6	श्रीमती अर्चना ओझा / इलाहाबाद/ 8.11.79	सीधी भर्ती	17.01.08
7	मो० इरफानउल्ला खॉ/ सीतापुर/ 22-8-72	सीधी भर्ती	23.04.02
8	गिरिवर सिंह / बांदा / 30-6-61	प्रोन्नत संवर्ग	14.05.15
9	श्रीमती सविता शुक्ला/ बाराबंकी/ 19.9.75	सीधी भर्ती	14.05.15

राजस्व परिषद के आदेश से,

शुभ्रान्त कुमार शुक्ल

(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)

स्टाफ आफिसर, (मा० अध्यक्ष)।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मंडलायुक्त गोरखपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद तथा चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

शुभ्रान्त

- 2- जिलाधिकारी गोरखपुर, कुशीनगर, बिजनौर, इलाहाबाद, सीतापुर, बांदा तथा बाराबंकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसकी एक प्रति सम्बन्धित नायब तहसीलदार को भी प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 3- ✓ प्रमुख प्रणाली विशेषज्ञ, राजस्व परिषद, उ०प्र०, कम्प्यूटर सेल, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त आदेश को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)
स्टाफ आफिसर(मा० अध्यक्ष),
कृते आयुक्त एवं सचिव।

